मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक – /404/2019/12–1 भोपाल, दिनांक

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः प्रदेश मे अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मिट्टी उत्खनन कर परम्परागत तरीके से ईंट, कवेलू, बर्तन आदि निर्माण के संबंध में।

संदर्भः इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक एफ 19–1/2013/1 पार्ट दि. 10.04.2013

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हारों या अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति की सहकारी समिति जो कि परम्परागत साधनो से ईंट, कवेलू या बर्तन का निर्माण करते हैं को मिट्टी या रेत का उपयोग बगैर रॉयल्टी का भुगतान किये उत्खनन किय जाने के निर्देश जारी किय गये हैं, इसके लिए इन वर्गों को कोई उत्खनिपट्टा आदि प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नही है। संदर्भित पत्र में निर्मित की जाने वाली ईटों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं होने से इस वर्ग विशेष को स्थानीय स्तर पर कठिनाईयों का सामना किये जाने संबंधी तथ्य राज्य सरकार के संज्ञान में लाये गये है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वर्ग विशेष द्वारा परम्परागत तरीके से ईंट निर्माण किये जाने पर निर्मित की जाने वाली ईटों की संख्या 10 लाख या उससे अधिक होने पर भी मिट्टी तथा रेत पर रॉयल्टी के भुगतान किये जाने की अनिवार्यता नहीं है, जारी किये गये ज्ञापन की शेष शर्तें एंव निर्देश यथावत रहेंगे।

(राजेश कुमार कौल)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

पृ0क्रमांक 4328/404/2019/12–1 भोपाल, दिनांक 24/09/2019

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रमुख सचिव, पंचायत एव ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त आयुक्त संभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा की ओर सूचनार्थ।
7. प्रभारी अधिकारी, ई–खनिज की ओर ई–खनिज वेबसाइट मे प्रदर्शित करने हेतु।
8. समस्त प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा), म0प्र0 की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी उक्त निर्देश की प्रति जिले के समस्त जनप्रतिनिधियो को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे।

अवर सचिव 24.9.2019
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

JD
copy to all OIC. e-Khanij me upload kare
25.9.19
OIC (e-Khanij)
10731
26/9/19

Seen MCI 20/04/13

कलेक्टोरेट जिला देवास
प्र.म. शाखा छानिज
18 APR 2013
आ क्र. 126
कलेक्टर

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 19-1/2013/1 (पार्ट) भोपाल, दिनांक 10-4-13

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :- प्रदेश में अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मिट्टी उत्खनन कर परम्परागत तरीके से ईंट, कवेलू, बर्तन आदि निर्माण के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हारों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सहकारी समिति को जो कि परम्परागत साधनों से कवेलू, बर्तन या ईंट का निर्माण करते हैं को मिट्टी तथा रेत का बिना कोई रायल्टी दिये निःशुल्क उत्खनन किये जाने के प्रावधान किये गये है। इसके लिए उन्हें कोई उत्खनिपट्टा आदि प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नही है।

2) इसके लिए मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(एक) प्रावधानित किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हारों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सहकारी समिति द्वारा परम्परागत साधनों से कवेलू, बर्तन या ईंट निर्माण के लिए परन्तु भट्टों में निर्माण क्रिया द्वारा यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं, को मिट्टी या रेत उत्खनन के लिए यह नियम लागू नहीं होते हैं। मिट्टी या रेत का उत्खनन उस क्षेत्र में किया जायेगा जिसे की संबंधित ग्राम सभा निर्धारित करे।

3) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में दिनांक 23 मार्च 2013 को संशोधन किया गया है इसके अनुसार मिट्टी या रेत का उत्खनन, किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क या नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी के भीतर, प्रतिबंधित रहेगा।

4) उपरोक्त सुविधा का लाभ दिये जाने के पूर्व यह आवश्यक है कि समस्त कलेक्टर अपने जिले का समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों की ग्राम सभा से मिट्टी तथा रेत के उत्खनन हेतु क्षेत्र चिन्हित कराये, चिन्हित किये गये खसरों की जानकारी खसरा पांचशाला के कालम क्रमांक 12 में तथा निस्तार पत्रक में भी दर्ज करानें को कार्यवाही करें।

5) ऐसे चिन्हित क्षेत्रों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य क्षेत्र पर उत्खनन किये जाने के लिए आवेदन किया जाता है तब उन क्षेत्रों का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन करनें पर ऐसे क्षेत्रों को भी उत्खनन हेतु प्रदान किया जा सकेगा।

(7) खनिज का परिवहन इस प्रकार से प्राप्त अभिवहन पारपत्र के माध्यम से किया जाएगा।

(8) रायल्टी छूट अभिवहन पारपत्र प्रपत्र-पाँच का मुद्रण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा कराया जायेगा तथा इन्हें समस्त जिलों को उपलब्ध कराया जायेगा।

विषयांतर्गत जारी परिपत्र क्रमांक एफ 19-18/2002/12/2 दिनांक 21 मई 2002 को एतद्द्वारा अतिक्रमित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम. के. रिछानी)
अवर सचिव, खनिज साधन विभाग

पृ0क्रमांक F 19-1/2013/12/1 (पार्ट)
प्रतिलिपि :- भोपाल, दिनांक 10-4-13

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त आयुक्त संभाग .... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6 प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, 3 हस्तशिल्प भवन, हमीदिया रोड़, भोपाल।
7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड, चित्तौड़ काम्प्लेक्स, प्रथम तल, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय .... की ओर सूचनार्थ।
10. प्रभारी अधिकारी, ई-खनिज की ओर ई-खनिज वेबसाइट में प्रदर्शित करनें हेतु प्रेषित।
11. प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला .... (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी उक्त निर्देश की प्रति जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।

अवर सचिव
खनिज साधन विभाग

प्रपत्र—"एक"

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(क) के तहत प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का फार्म

प्रति,

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
स्थान .... तहसील ....
जिला ....(मध्यप्रदेश)

विषय :- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(एक) के तहत छूट प्राप्त व्यक्ति के नियम 3(क) के अंतर्गत प्रमाणीकरण हेतु आवेदन पत्र।

निवेदन है कि आवेदक, अनुवांशिक कुम्हार/अनुसूचित जाति/जनजाति या इनके सदस्यों की सहकारी संस्था है (जो लागू न हो उसे काट दें), जिन्हें मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(एक) के तहत छूट प्राप्त है। नियम 3(क) के तहत कृपया प्रमाणीकरण करने का कष्ट करें, विवरण इस प्रकार है :-

1. आवेदक/संस्था का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. आवेदक/संस्था का पता ....
4. वर्ग (अनुवांशिक कुम्हार/अनुसूचित जाति/जनजाति या इनके सदस्यों की सहकारी संस्था) .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की अवस्थिति- ....

खसरा क्रमांक	रकबा	ग्राम	तहसील	जिला
....	....	....	....	....

6. भूमि का प्रकार (शासकीय/निजी) ....
   आवेदित क्षेत्र ग्राम सभा द्वारा चिन्हित है अथवा नवीन क्षेत्र है
7. खसरा पांचशाला में कालम 12 में दर्ज होने की स्थिति में नकल संलग्न करें अन्यथा की स्थिति में ग्राम सभा का अनुमोदन संलग्न किया जावे
8. खनिज का नाम (मिट्टी/रेत) ....
9. खनिज का उपयोग (ईंट, कवेलू, बर्तन निर्माण) ....
10. ईंट, कवेलू, बर्तन निर्माण का स्थान ग्राम.......................तहसील.......................
11. उत्खनन किये जाने वाले खनिज की मात्रा ....(घनमीटर)
12. उत्खनन की कालावधि दिनांक.......................से ....तक

प्रपत्र-"दो"

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(ख) के तहत प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु पटवारी का जांच प्रतिवेदन

कार्यालय पटवारी, हल्का क्रमांक .... ग्राम.................... तहसील ....

क्रमांक ....

प्रति,

दिनांक ....

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
स्थान .... तहसील ....
जिला ....(मध्यप्रदेश)

विषय : मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(ख) के तहत प्रमाणीकरण करने हेतु जांच प्रतिवेदन।

आवेदक श्री .... आत्मज श्री .... निवासी .... द्वारा .... कार्य हेतु गौण खनिज मिट्टी/रेत मात्रा ....घनमीटर उत्खनन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित स्थल का निरीक्षण दिनांक .... को किया गया। स्थल निरीक्षण उपरांत यह पाया गया कि आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक .... ग्राम .... तहसील .... ग्राम पंचायत .... द्वारा उत्खनन हेतु निर्धारित स्थल है अथवा खसरा पांचसाला के कालम 12 में चिन्हित क्षेत्र है। यह स्थल किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क या नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी के भीतर, है/नहीं है।

आवेदक, अनुवांशिक कुम्हार/अनुसूचित जाति/जनजाति या इनके सदस्यों की सहकारी संस्था है/अथवा नहीं है (जो लागू न हो उसे काट दें)।

पटवारी के हस्ताक्षर
नाम- ....
हल्का क्रमांक ......

प्रपत्र–"तीन"

कार्यालय
नायब तहसीलदार/तहसीलदार
तहसील..... जिला..... (म0प्र0)

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(क) के तहत प्रमाणीकरण

क्रमांक ..... दिनांक .....

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(एक) के तहत आवेदक, अनुवांशिक कुम्हार/अनुसूचित जाति/जनजाति या इनके सदस्यों की सहकारी संस्था है (जो लागू न हो उसे काट दें) छूट प्राप्त होने तथा उत्खनन स्थल ग्राम सभा द्वारा चिन्हित अथवा खसरा पांचशाला के कालम 12 में क्षेत्र दर्ज होने के आधार पर नियम 3(क) के तहत निम्नानुसार प्रमाणीकरण किया जाता है –

1. आवेदक/संस्था का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. आवेदक/संस्था का पता .....
4. वर्ग (अनुवांशिक कुम्हार/अनुसूचित जाति/जनजाति या इनके सदस्यों की सहकारी संस्था) .....
5. उत्खनन किये जावे वाले क्षेत्र की अवस्थिति– .....

खसरा क्रमांक	रकबा	ग्राम	तहसील	जिला
.....	.....	.....	.....	.....

6. भूमि का प्रकार (शासकीय/निजी) .....
7. खनिज का नाम (मिट्टी/रेत) .....
8. खनिज का उपयोग (ईंट, कवेलू, बर्तन निर्माण) .....
9. ईंट, कवेलू, बर्तन निर्माण का स्थल ग्राम.....तहसील.....
10. उत्खनन किये जाने वाले खनिज की मात्रा .....(घनमीटर)
11. उत्खनन की कालावधि दिनांक.....से .....तक

उत्खनन हेतु प्रमाणित स्थल किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क या नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी के भीतर नहीं है।

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
तहसील .....
जिला .....

7

प्रपत्र–"चार"

अभिवहन पारपत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

श्रीमान नायब तहसीलदार/तहसीलदार
स्थान ..... तहसील .....
जिला.....

विषय : अभिवहन पारपत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र।

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता आवेदक को श्रीमान के न्यायालय के पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा प्रमाणीकर जारी किया गया है (प्रति संलग्न)। इस प्रमाणीकरण के आधार पर खनिज (खनिज का नाम)..... मात्रा .....(घनमीटर) के परिवहन हेतु अभिवहन पारपत्र किया ..... जारी करने का कष्ट करें।

पूर्व में कोई अभिवहन पारपत्र जारी नहीं किये गये हैं अथवा मेरे द्वारा पूर्व में जारी अभिवहन पारपत्र का उपयोग किया जा चुका है। इसकी तीय प्रति क्रमांक ..... से क्रमांक ..... तक प्रस्तुत है (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम:
पता: